पत्र संख्या-स्था0-6-सामान्य-विविध पत्रावली-94(भाग-3)/2025-26/ 3685 /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: 27 अक्टूबर, 2025

समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश(जोन-गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद-द्वितीय,
लखनऊ-प्रथम एवं कानपुर-प्रथम को छोड़कर)।

विषय:-07 दिसम्बर, 2025 को सेवानिवृत्त सैनिकों, उनके परिवारों तथा सेवारत सैनिकों के कल्याण के लिये धन एकत्रित करने हेतु झण्डा दिवस मनाये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-528/1957633/11-5-2025 दिनांक 29.09.2025 **(छायाप्रति संलग्न)** का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके साथ अपर मुख्य सचिव, सैनिक कल्याण अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-944/48-2025-22(29)/75 दिनांक 18.09.2025 की प्रति संलग्न करते हुए पत्र में सशस्त्र सेना झण्डा दिवस पर धन संग्रह के संबंध में कतिपय दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। अतः शासन द्वारा उक्त पत्र दिनांक 18.09.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के क्रम में शासन के पत्र संख्या-528/1957633/11-5-2025 दिनांक 29.09.2025 की प्रति संलग्नकों सहित इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है कि उक्त पत्र दिनांक 18.09.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- विभागीय वेबसाइड पर अपलोड।

Digitally signed by
SUNIL KUMAR VERMA
Date: 27-10-2025
22:31:21

(सुनील कुमार वर्मा)
अपर आयुक्त(प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. - अपर आयुक्त, राज्य कर, जोन-गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद-द्वितीय, लखनऊ-प्रथम एवं कानपुर-प्रथम को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि शासन द्वारा उक्त पत्र में की गयी अपेक्षानुसार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
2. - अपर निदेशक, राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
3. - संयुक्त आयुक्त(आई0टी0), राज्य कर मुख्यालय को एक प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
4. - आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।

संलग्नक:- विभागीय वेबसाइड पर अपलोड।

Digitally signed by
RAVI SHEKHAR SINGH
Date: 27-10-2025
10:37:16

(रवि शेखर सिंह)
संयुक्त आयुक्त(स्था0अरा0) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।

13083

श्रीमती पूर्णिमा ....
कृपया आवश्यक कार्यवाही करें।

उपायुक्त (आई0टी0) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ
दिनांक 28-10-25

संख्या-528/1957633/11-5-2025

प्रेषक,

विनोद कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

आयुक्त, राज्य कर,
उ0प्र0 ,लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-5 लखनऊ: 29-09-2025

विषयः-07 दिसम्बर, 2025 को सेवानिवृत्त सैनिकों,उनके परिवारों तथा सेवारत सैनिकों के कल्याण के लिये धन एकत्रित करने हेतु झण्डा दिवस मनाये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, सैनिक कल्याण अनुभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-944/48-2025-22(29)/75, दिनांक 18 सितम्बर, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें सशस्त्र सेना झण्डा दिवस पर धन संग्रह के संबंध में कतिपय दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- इस सम्बन्ध में उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 18 सितम्बर, 2025 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त पत्र में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
VINOD KUMAR TRIPATHI
Date: 29-09-2025
15:11:06

(विनोद कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

संख्या-944/48-2025-22-5(29)/75

Comp. No.:1739663 /File No.:48-1099/21/2023-

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

2- समस्त जिला तथा सत्र न्यायाधीश,
उत्तर प्रदेश ।

सैनिक कल्याण अनुभाग | लखनऊ : दिनाँक: 18 सितम्बर, 2025

विषय:- 07 दिसम्बर, 2025 को सेवानिवृत्त सैनिकों, उनके परिवारों तथा सेवारत सैनिकों के कल्याण के लिए धन एकत्रित करने हेतु झण्डा दिवस मनाये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि गत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी सशस्त्र सेना झण्डा दिवस दिनाँक 07 दिसम्बर, 2025 को मनाया जायेगा। झण्डा दिवस भारतीय सशस्त्र सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के कल्याण हेतु जनता से धन संग्रह के प्रति समर्पित वर्ष 1949 से 7 दिसम्बर को भारत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झण्डा दिवस पर हुए धन संग्रह का उद्देश्य युद्ध के समय हुई जनहानि में सहयोग, सेना में कार्यरत सैनिकों एवं सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण हेतु किया जाता है।

2. प्रतीक झण्डा स्टीकर्स एवं मोटर गाड़ियों के झण्डा स्टीकर्स की विक्री केवल एक दिन 07 दिसम्बर, 2025 के लिए सीमित होगी, किन्तु झण्डा दिवस निधि के लिए प्रदर्शनी तथा अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन तथा दान एकत्र करने का कार्य पूरे वर्ष किया जा सकता है।

3. निदेशालय, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तर प्रदेश द्वारा 07 दिसम्बर, 2025 से 30 नवम्बर, 2026 तक की अवधि में प्राप्त धनराशि झण्डा दिवस के संग्रह में सम्मिलित की जायेगी। प्रतीक झण्डा स्टीकर्स एवं मोटर गाड़ियों के झण्डा स्टीकर्स की बिक्री एवं सहायतार्थ आयोजनों से एकत्र की गई धनराशि में से केन्द्रीय सैनिक बोर्ड का अंश उनके पत्र संख्या-135(4)/2012/के एस बी/डी, दिनाँक 02.05.2012 में दिये गये निर्देशानुसार निदेशालय, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तर प्रदेश द्वारा सचिव, झण्डा दिवस निधि, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली को विलम्वतम् 30 जून, 2026 तक भेजा जाना है। अत: आपसे अनुरोध है कि कृपया संग्रहीत धनराशि निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को दिनाँक 30.04.2026 तक अवश्य भेज दिया जाय, जिससे वह कुल धन समय से संग्रह कर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड का अंश निर्धारित तिथि तक भेज सके। जिलाधिकारी तथा अन्य अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को कोई धनराशि सीधे न भेजी जाय। अप्रयुक्त प्रतीक झण्डा स्टीकर्स एवं मोटर गाड़ियों के झण्डा स्टीकर्स को नष्ट नहीं किया जायेगा। अप्रयुक्त प्रतीक झण्डा स्टीकर्स एवं मोटर गाड़ियों के झण्डा स्टीकर्स को अगले वर्ष के प्रयोग हेतु रखा जायेगा। इस प्रकार के अप्रयुक्त प्रतीक झण्डा स्टीकर्स एवं मोटर गाड़ियों के झण्डा स्टीकर्स की गणना निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तर प्रदेश, लखनऊ को विलम्बतम् 31 मार्च, 2025 तक अवश्य भेज दिया जाय। निदेशालय, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तर प्रदेश को संग्रहीत धन केवल बैंक ड्राफ्ट/एन0ई0एफ0 टी0/ आर0 टी0 जी0 एस0 के

द्वारा ही भेजा जाय। धन चेक से न भेजा जाय, क्योंकि चेक में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर बैंक द्वारा धनराशि काट ली जाती है। बैंक ड्राफ्ट "निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तर प्रदेश सैनिक झण्डा दिवस निधि" के नाम भेजा जाय।

4. प्रतीक झण्डा स्टीकर्स एवं मोटर गाड़ियों के झण्डा स्टीकर्स का वितरण निदेशालय, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तर प्रदेश के माध्यम से जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों को किया जायेगा। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय या उनकी अनुपस्थिति में जिला मजिस्ट्रेट विभिन्न संगठनों द्वारा माँगे गये प्रतीक झण्डा स्टीकर्स एवं मोटर गाड़ियों के झण्डा स्टीकर्स का वितरण करेंगे।

5. गत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी धन एकत्र करने का अभियान ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करके संचालित किया जाय तथा इस दिशा में ग्राम पंचायतें, सहकारी समितियाँ व विभिन्न सरकारी विभागों के फील्ड स्टाफ भी काफी सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

6. शासन आपसे अपेक्षा करता है कि इस कार्य में आप तथा आपके अधीनस्थ अधिकारीगण पूर्ण सहयोग प्रदान कर अधिकाधिक धनराशि संग्रह करने में कोई प्रयत्न शेष नहीं रखेंगें। इस सम्बन्ध में संलग्न परिशिष्ट 'क' में आपके उपयोगार्थ कुछ सुझावों का उल्लेख किया जा रहा है।

7. महानिदेशक पुनर्वास, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन केन्द्रीय प्रबन्ध समिति झण्डा दिवस निधि द्वारा वर्ष 1983 से राज्यों के झण्डा दिवस निधि में प्रति व्यक्ति धन संग्रह करने वाले शीर्षस्थ राज्यों को रोलिंग ट्रॉफी प्रदान किये जाने की नीति बनाई गई है। अपना प्रदेश विशाल होते हुये भी इस ट्रॉफी को एक बार भी नहीं प्राप्त कर सका है। अतएव वर्तमान वर्ष 2025 में हम सभी एकजुट होकर झण्डा दिवस निधि में अधिक से अधिक धन एकत्र करने का प्रयास करें, जिससे यह ट्रॉफी उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो सके।

भवदीय,

Digitally signed by
LAKKU VENKATESHWARLU
Date: 18-09-2025
11:27:25

(एल0 वेंकटेश्वर लू)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-944(1) /48-2025-22-5(29)/75, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. जनरल ऑफीसर कमाण्डिंग-इन-चीफ, मुख्यालय मध्य कमान, लखनऊ द्वारा निदेशक, सैनिक कल्याण।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक सैनिक कल्याण।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, सैनिक कल्याण।
5. निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक, आल इण्डिया रेडियो/दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ द्वारा निदेशक, सैनिक कल्याण।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ द्वारा निदेशक, सैनिक कल्याण।
8. जनरल आफीसर कमाण्डिंग -इन-चीफ, उत्तर भारत एरिया, बरेली द्वारा निदेशक सैनिक कल्याण।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
UMESH KUMAR TIWARI
Date: 18-09-2025
13:28:29

(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट 'क'

झण्डा दिवस पर धन संग्रह करने के व्यवस्था के सम्बन्ध में पथ-प्रदर्शन के लिए सुझाव

नीचे दिये गये सभी सुझावों का उद्देश्य झण्डा दिवस 2025 पर अधिक से अधिक धन संग्रह करना है और समस्त योजना इस विशिष्ट उद्देश्य को दृष्टिगत रखकर बनाई जानी चाहिए।

2. वर्ष के एक दिन (7 दिसम्बर) को सेना का झण्डा दिवस नाम दिया गया है, परन्तु व्यवस्था की दृष्टि मे यह सम्भव नहीं है कि सभी चन्दा प्रभावकारी ढंग मे केवल उसी दिन इकट्ठा करने का प्रबन्ध किया जा सके। अतएव यह आवश्यक है कि राज्य में तथा जिलों में उच्च स्तर पर काफी पहले से ही इसके लिए निम्न उपाय किये जाय :-

(क) धन संग्रह करने के काम को विकेन्द्रित करने के लिए उपाय किये जाने चाहिए ।

(ख) उक्त दिन तथा उसके बाद दिनाँक 30.11.2026 तक की अवधि तक धन संग्रह करने के लिए गहन प्रयास किये जायें।

(ग) अधिक संख्या में कार्मिकों को नियुक्त करने वाले अधिकारियों अथवा उन स्थानों का जहाँ प्रतिदिन अधिक संख्या में लोग आते हों उनका सक्रिय सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय किया जाय।

(घ) झण्डा दिवस निधि के लिए गठित राज्य जिला समितियों के प्रतीक तथा कार के झण्डों की आवश्यकता को सावधानीपूर्वक छानबीन कर यह सुनिश्चित किया जाय कि वह उनकी जनसंख्या के अनुरूप है।

(च) धन संग्रह बढ़ाने का एक निश्चित ढंग अधिक से अधिक संख्या में झण्डों को बेचना है। इस उद्देश्य के लिए शहरी तथा देहाती क्षेत्रों में प्रत्येक सम्भावी दानकर्ता से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

(छ) बड़े औद्योगिक प्रवन्ध कर्ताओं तथा अन्य संस्थानों से विशेष रूप से यह अनुरोध किया जाना चाहिए कि वे अपनी संस्थाओं की निजी एजेंसियों द्वारा धन संग्रह की व्यवस्था करें और इस प्रकार चन्दे के रूप में प्राप्त धनराशि झंडा दिवस निधि के लिए सम्बद्ध जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय को भेजें।

(ज) प्रसिद्ध व्यवसायिक संस्थानों और व्यापार गृहों से उदारतापूर्वक दान देने के लिए अनुरोध किया जाये।

(झ) धन संग्रह की व्यवस्था रेलवे स्टेशनों, डाकघरों, क्रय विक्रय के स्थानों, सिनेमा गृहों, बस अड्डों तथा उन स्थानों पर भी की जानी चाहिए जहाँ लोग अधिक संख्या में एकत्रित होते हैं।

(ट) चूँकि प्रदेश की अधिकाँश जनसंख्या गांवों में रहती है इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय राजस्व तथा सामुदायिक विकास विभाग के कर्मचारी वर्ग के माध्यम से धन संग्रह करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाय। प्रचार निदेशक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य/जिला प्राधिकारियों को भेजे गये पोस्टर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक संख्या में लगाये जाने चाहिए जहाँ लोग समाचार पत्रों को नहीं पढ़ते हैं। शहरी क्षेत्रों में प्रचार समाचार पत्रों एवं अन्य प्रचार माध्यमों द्वारा किया जाना चाहिए। ग्रामीण एवं शहरी दोनो क्षेत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार के लिये निजी दूरदर्शन चैनलों का भी यथासम्भव सहयोग लिया जा सकता है।

(ठ) जहाँ कहीं फ्लाइंग क्लब स्थित हों वहाँ उन्हें झण्डा दिवस निधि के सहायतार्थ हवाई जहाज का सर्कस करने का अनुरोध करना चाहिए।